>

Title: Regarding introduction of Civil Liability for Nuclear Damage Bill.

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a request.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, आइटम नं0 19 के इंट्रोड्क्शन ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे पढ़ रही हूं, फिर आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, पहले हमें इसके विरोध में बोलने का मौका दें, उसके बाद इसके इंट्रोड्क्शन की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदया : पहले मुझे पढ़ लेने दीजिए।

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have received a request from hon. Minister Shri Prithviraj Chavan that the Government does not intend to introduce the Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010, today.

Therefore, I take up the next item, the Zero Hour. Shri Mulayam Singh Yadav.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It is over. It has not been introduced.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: No, no. Only what Shri Mulayam Singhji is sayingâ€¦. मुलायम सिंह जी बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, ये सब खड़े हुए हैं, हम कैसे बोलेंगे?..(व्यवधान)

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Bill has not been introduced. Shri Mulayam Singh Yadav.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going into record.

(Interruptions) â€¦ *

MADAM SPEAKER: The Government has made a request. I have accepted the request and the Bill has not been introduced.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Mulayam Singhji. We moved on to the Zero Hour.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठिये। विपक्ष की नेता बोलना चाहती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अभी आपने यह पढ़कर सुनाया कि the Government does not intend to place this Bill today. मेरा आपसे सिर्फ यह कहना है कि यह हाउस गवर्नमेंट की इंटैन्शन से नहीं चलता है। यह हाउस चलता है लोक सभा के संचालन के नियमों से और लोक सभा के संचालन नियम यह कहते हैं कि अगर कार्य-सूची पर कोई चीज़ लिस्ट हो जाए और सरकार उसको वापस लेना चाहे तो वह अपने इंटैन्शन की सूचना आपको देगी, और आप मोशन रखेंगी Does the Government have the leave of the House to withdraw this Bill? वह मोशन आप रखिये और उस पर आप सदन का मत लीजिए, हाँ या ना में सदन की राय लीजिए। उन्होंने आपको अपनी इंटैन्शन बता दी है।

The Government is well within its right to tell the intention to the hon. Speaker. But in turn, what would the hon. Speaker do? You would put the motion to vote. Does the Minister have the leave of the House to withdraw this? और उस पर हाँ या ना में जवाब लीजिए।

â€¦ (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I am giving my ruling. The question of seeking leave of the House is required for withdrawal of a Bill that has been introduced. The Bill has not yet been introduced. There is no need for any motion.

...(*Interruptions*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, विपक्ष की नेता ने एक सवाल उठाया था, जिस पर आपने निर्णय दिया, वह सही है, क्योंकि बिल इन्ट्रोडयूस नहीं हुआ है, इसीलिए विड्रॉल का सवाल नहीं है। लेकिन बिल लिस्टिड है और आज यदि कोई सदन की लिस्ट आफ बिजनेस देखेगा तो वह यह देखेगा कि जनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मामला आज जो सदन में आने वाला है, वह यह है- Civil Liability for Nuclear Damage Bill. लेकिन अचानक सरकार यह तय करती है कि हम आज इसे इन्ट्रोडयूस नहीं करेंगे और आपको कनवे करते हैं तो यह उनका अधिकार है, मैं उससे इंकार नहीं करता हूं। लेकिन उनका यह भी कर्तव्य है कि वह सदन को भी बताएं कि आज क्यों नहीं कर रहे हैं। सदन को बताना उनका कर्तव्य है। यदि वह उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो वह भी हम जानना चाहेंगे। वह केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो यह भी पता होना चाहिए। लेकिन कुल-मिलाकर के सदन का यह अधिकार है कि उसे बताया जाए कि एक लिस्टिड बिजनेस पोस्टपोन क्यों की जा रही है। इतना ही मेरा निवेदन है। यदि आज भी बैठे हुए मंत्री बता दें तो बहुत खुशी होगी। लेकिन सरकार को सदन को बताना चाहिए कि लिस्टिड बिजनेस को चेंज क्यों किया जा रहा है?